



44111

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव धेताना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4067 / 05 / 76 / एक / 2016-17

दिनांक : 24 नवम्बर 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-इलाहाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	394302010992508	IFSC Code UBIN0539431	185.405

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	मो० तेलियरगंज में एस०एन० गोस्वामी के घर से मुन्ना के घर तक, शनि मंदिर से गौतम के मकान तक, नन्हे गौतम के घर से सुरेश के घर तक, रौकेश के घर से धर्मेन्द्र रावत के घर तक, ऊषा देवी के घर से सागर जायसवाल के घर तक, संतोष के घर से डाक्टर के घर तक, अंशू के घर से अशोक के घर तक, गोस्वामी के घर से अवध नारायण के घर तक, एस०एन० गौतम के घर से रमेश के घर तक, शनि मंदिर से नागेश्वर मंदिर होते हुये शत्रुघ्न के घर तक, प्रेमलाल के घर से मुन्ना सोनकर के घर तक, प्रमोद के घर से रीता के घर तक, गौतम के घर से संतोष श्रीवास्तव के घर तक, शिव बहादुर के घर से महेन्द्र के घर तक, के०के० मिश्रा के घर से से मदुप नारायण के घर तक एवं बालादीन के घर से से रिंका पासी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.944
2	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	तेलियरगंज में बबलू रावत से मोहन लाल तक, राकेश से धासीराम के मकान होते हुए राजेश केसरवानी तक, गोविन्द से दीप एवं मैकूलाल के घर होते हुए प्रहलाद के मो० तेलियरगंज में बबलू रावत के मकान से मोहन लाल के मकान तक, राके के मकान से धासीराम के मकान होते हुये राजेश केसरवानी के मकान तक, गोविन्द के मकान से दीप एवं मैकूलाल के घर होते हुये प्रहलाद के मकान तक किशुन के मकान से सन्नो देवी के मकान तक, दीवारी लाल के मकान से अतुल कुमार के घर होते हुये कौशलया देवी के मकान तक, फूलचन्द गौतम के मकान से मूलचन्द के मकान होते हुए बच्चा लाल के मकान तक, कुन्दर के मकान से पुरुषोत्तम जी के मकान	15.703



441/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बरती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				होते रतन लाल के मकान तक, प्रमोद के मकान से बांके लाल के मकान होते हुए जियालाल के मकान तक, बुद्धलाल के मकान से प्रदीप के मकान तक एवं बबू के मकान से सुलभ काम्पलेक्स तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
3	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	गंगा नगर, नेवादा में सुरेन्द्र कुमार के घर से मकान नं० 17बी/8सी/1 तक, संजय कनौजिया के मकान से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, गगन के मकान से रन्नो देवी के मकान होते हुये रामप्रकाश के मकान तक, कन्हैया लाल के मकान से कनकलता के घर होते हुए नाथू राम तथा हरि वर्मा के मकान से गंगा नगर रोड तक एवं सिन्हा कोविंग से पीटर वाल्मिकी के मकान तक एवं एन०आर० बुद्ध के सामने वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.346
4	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	जोधवल पश्चिमी में बद्री पाल के मकान से शिवशंकर पाण्डेय के मकान तक, सत्यदेव वाजपेयी के मकान से नलिनी के मकान तक, हनुमान मंदिर से बेनी माधव तिवारी के मकान तक, घनी यादव की गली, बबलू सोनी के मकान से एल० यादव की गली तक, दयाशंकर शुक्ला के मकान से एल० यादव की गली तक, एल० यादव के मकान से पारस नाथ के मकान तक, विनोद हजेजा के मकान से यसपाल वर्मा की गली तक, सुधीर हजेजा के मकान से राकेश व रामदास की गली तक, वी०बी०सिंह के मकान से राजेश व राधेश्याम प्रजापति के मकान तक एवं राजेश के मकान से जंगी लाल के मकान तक की गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.484
5	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	नेवादा, अशोक नगर में आदर्श सरस्वती निकेतन जू०ह० स्कूल की गली, ममता विद्यालय से लक्ष्मी देवी के मकान तक, पिच रोड से स्वामी विवेकानन्द होते हुए स्व० शशि एवं लक्ष्मी देवी के घर तक, शकुन्तला के मकान से सरयू पाल के घर तक, अशोक कनौजिया के मकान से केशव प्रसाद के मकान तक, किशोरी लाल की गली, अर्जुन की गली, भरत लाल के मकान से अमरजीत गुप्ता की गली तक, रामबरन पाल की गली, अरुण कुमार के मकान से सीताराम राउत की गली तक, हीरालाल के मकान से रेखा राउत की गली तक, सीताराम राउत के मकान से रेखा राउत की गली तक, रेखा राउत के मकान से रामबाबू पाल की गली तक, रामबाबू पाल की गली एवं भरत पाल के मकान से कल्लू पटेल की गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.716
6	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	सादियाबाद पश्चिमी में राधेश्याम के मकान से स्व० राजाराम तक की गली, भानू पान वाले से सोहन लाल तक की गली, इकरार के मकान से मरिजद तक की गली, खुशीद के मकान से सलीम के मकान तक की गली, खशीद के मकान से शहशाह के घर होते हुए कम्मू	8.252



44/3

दस्तावेज- 2286709
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				भाई के मकान तक, सलीम के मकान से खुर्शीद के घर होते हुए अब्दुल बारी के मकान तक, नुरुल हक के मकान से खुर्शीद के घर होते हुए श्यामलाल तक एवं श्याम लाल के मकान से चोंदबाबू होते हुए भाई लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
7	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 56 फुलवरिया रोड पर इन्द्रानगर कालोनी में राजे कु० मिश्रा के घर से टी०एन० शर्मा के मकान तक, छोटेलाल तिवारी के मकान से प्रयागघाट स्टेशन तक, जितेन्द्र भूषण दुबे के मकान से लल्लू यादव के मकान तक, के०पी०सिंह के घर से प्रमोद कुमार के घर तक, गंगा प्रसाद साहू के घर से अवधेश पाल के घर तक, पवन श्रीवास्तव के घर से मोहन निषाद के घर तक, श्रीमती राममनी सोनकर के घर से पंकज शुक्ला के घर तक एवं वी०पी० द्विवेदी के घर से आर०पी० मिश्रा घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.716
8	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 56 सरैया हरिजन बस्ती में ज्ञान निषाद के घर से विल्लो निषाद घर एवं नरेश निषाद के घर से हीरालाल साहू के घर एवं अवधेश के घर से संतोष के घर तक, अशोक के घर से राजेन्द्र निषाद के घर तक, संदीप साहू के घर से सरैया के घर तक एवं रामकुमार सरैया के घर से कमलेश के घर एवं प्रभावती के घर से गर्णेश के घर एवं रामजी निषाद के घर तक, अजय मोहन निषाद के घर से कुन्दन यादव के घर एवं सुरेन्द्र के घर से मधु के घर तक, श्रीराम निषाद के घर से विजय कुमार एवं शथरी माई के मंदिर तक, सत्यम मेडिकल स्टोर से रमेश बहादुर यादव के घर एवं आरती दुबे के घर से जगन्नाथ के घर तक, डॉ० आर० पाण्डेय के घर से प्रभाकर शर्मा के घर तक एवं आशीष मिश्रा के घर से निर्मल तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.940
9	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 04 राजापुर (फेज-1) में भोला माली के घर से मालती कुमारी के घर तक, मालती कुमारी के घर से धामधर मंदिर तक, बड़ेलाल के घर से सुदामा के घर तक एवं गणेश लाल के घर से राजू के घर तक एवं शीतला प्रसाद के घर से समता शिक्षा सदन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.339
10	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 04 राजापुर (फेज-2) में जगन्नाथ से वी०एस० गुप्ता के घर तक, ब्रम्हानन्द के घर से मुन्नीलाल एवं प्रेम सिंह पहाड़ी के घर से सदन के घर तक, चेतन के घर से मोहन के घर होते हुए गोरे के दुकान तक एवं अशोक कुमार के घर से वी०के० शर्मा के घर तक, श्री राम जायसवाल के घर से रामचन्द्र के घर तक, मुकेश कुशवाहा के घर से बनवारी लाल के घर तक एवं संजयके घर से टुन्नु लाल के घर तक, रामचन्द्र के घर से हरिहर के मकान तक, नाथू राम के घर से सुरेश के	14.889



441/4

दूरभाष- 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				घर तक, गंगा राम के घर से राजू के घर होते हुये सोना देवी के घर तक, हेमचन्द्र के घर से लाल बहादुर के घर तक एवं रामपाल के घर से माधुरी देवी के घर तक तथा दिनेश के घर से प्रकाश के घर तक एवं कृष्णा नन्द के घर से लाल बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
11	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 06 राजापुर (फेज-3) में मो० नजीम के घर से मो० रमजान एवं मो० समसुददीन के घर से शिव कुमार के घर तक, मो० रईस के घर से शिवराम के घर तक एवं मैकूलाल के घर से सुरेश के घर तक, अशगर अली के घर से रईस अहमद के घर तक एवं मामा फल वाले के घर से लददन रूई वाले के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.024
12	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 06 राजापुर (फेज-4) में मो० मोईन के घर से यू०एस० सिद्दीकी के घर तक, मस्जिद से मंदिर होते हुये पुरुषोत्तम के घर तक, गुड्डू के घर से रानू के घर तक, हकीमुद्दीन के घर से अख्तरी बेगम के घर तक एवं रमेशचन्द्र के घर से महेशचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.571
13	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 32 राजापुर (फेज-5) में नई मस्जिद से रईस अहमद एवं राम खेलावन के घर से अरविंद कुमार के घर तक, मो० इस्लाम के घर से मिन्दू चक्की तक, घसिटे के घर से लल्लू पान वाले के घर होते हुए अनवर खान के घर तक, रफीउल्ला के घर से रामू के घर तक एवं डॉ० कुशवाहा के घर से करीमुनिसा के घर तक, बब्लू के घर से बन्ने शेरवानी के घर तक, रामचन्द्र तिवारी के घर से बन्ने के घर तक, एल०बी० सिंह के घर से रियाज के घर तक, मजार से मिन्दू चक्की तक, मिन्दू चक्की से हारून सिद्दीकी के घर होते हुये शकील के घर तक एवं हारून सिद्दीकी के घर से दिलदार के घर तक एवं मुमताज के घर से नेरश अग्रवाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.017
14	इलाहाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० इलाहाबाद	वार्ड नं० 32 राजापुर (फेज-6) में सजादे खान के घर से सगीर अहमद के घर तक एवं अनवर अहमद के घर से मो० इस्लाम के घर तक, अहमद के घर से सईद मोहम्मद के घर तक, समसोर के घर से विस्मिल्ला खों के घर तक एवं जागीर के घर से इफ्तिकार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.464
	योग				185.405

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।



441/5

दूरभाष- 2266709
2266710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक